डॉ महेन्द्र कुमार पीपलीवाल

(Ph.D. in Law)

एडीपी, आरपीए, जयपुर

- FILE
- LIFE

अभिनन्दन झा बनाम दिनेश मिश्रा 1967 (3)एससीआर पृष्ठ सं0 668 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां अपराध दर्ज करने के बाद बिना स्पष्ट कारण के यदि पुलिस जल्दी जांच नहीं कर रही है तो संतोषजनक आधार पर मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय तर्कसंगत समय सीमा में अनुसंधान पूर्ण करने का दिशानिर्देश दे सकते हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सम्पत लाल 1985 एससीसी पृष्ठ 317 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि ‘‘जब विधि की आवश्यकताऐं पुलिस द्वारा पूरी नहीं की जा रही है, और जिस शीघ्रता और तत्परता से अनुसंधान होना चाहिए यदि नहीं हो रहा है तो न्यायालय को उचित दिशा निर्देश देने की अवशिष्ट शक्ति है।

एक प्रकरण में स्वंय पुलिस अधिकारी ने मामला दर्ज कराया और उसी ने जांच की चुंकि इसमें न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त का उल्लंघन था अतः **मेघा सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1996 (11)एससीसी पृष्ठ संख्या 709 में उच्चतम न्यायालय** ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि परिवादी होते हुए उसे मामले में स्वंय अनुसंधान नहीं करना चाहिए।

- सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 2010 एससी पृष्ठ 1974 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि नारको एनालेसिस टेस्ट, पोलीग्राफ टेस्ट, बी.ई.ए.पी.टेस्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित चिकित्सकीय परीक्षण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अतः बिना अभियुक्त व्यक्ति की स्वेच्छिक सहमति के बिना उपरोक्त टेस्ट नहीं कराये जा सकते क्योंकि यह परीक्षण बाध्यतापूर्ण अभिसाक्ष्य के अन्तर्गत आते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनच्छेद 20(3) में प्रदत्त मूल अधिकार के उल्लंघनकारी है।

- डी0एन0ए0 टेस्ट :– उपरोक्त न्यायिक विनिश्चिय सेलवी बनाम कनार्टक राज्य में यह भी माना गया है कि डीएनए परीक्षण के लिए सम्बन्धित अभियुक्त की सहमति की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट बाध्यतापूर्ण अभिसाक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है इससे किसी मूल अधिकार का हनन नहीं होता हैं एवं इस संदर्भ में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53, 53(क) एवं 54 के प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित वैधानिक व्यवस्था दी गई है।

- दारासिंह बनाम रिपब्लिक इंडिया (2011)2 एससीसी पृष्ठ संख्या 490 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त में स्पष्ट किया है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान उसके स्वंय के अंगूठा निशानी या नमूना हस्ताक्षर या नमूना हस्तलेख देने के लिए बाध्य करना स्वंय के विरूद्ध अभिसाक्षी बनने के समान नहीं है।

- प्रज्ञान सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (मालेगांव बम ब्लास्ट केस 2011 (10) एससीसी पृष्ठ संख्या 445 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अभियुक्त की रिमांड की अवधि की गणना गिरफ्तारी के दिवस से नहीं होकर प्रथम रिमांड की तिथि से की जायेगी।

- राजीव चौधरी बनाम दिल्ली राज्य 2001 (5) एससीसी पृष्ठ संख्या 34 में एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने न्यायिक विनिश्चय में ‘‘कारावास 10 वर्ष से कम नहीं‘‘ (Not less than 10 years) की विवेचना करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि अभियुक्त व्यक्ति 90 दिन तक अन्वेषण के दौरान तभी निरूद्ध किया जा सकता है जब आरोपित अपराध 10 वर्ष या अधिक दण्डनीय हो। इस तरह से कारावास 10 वर्ष से कम नहीं को 10 वर्ष से या उससे अधिक से दण्डनीय माना है।

- रामकरण बनाम राजस्थान सरकार 2009 (1) आर.सीआर.डी. पृष्ठ संख्या 86 राज0 उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों की पालना नहीं करने अर्थात प्रकरण लम्बित अन्वेषण होने पर 60 दिनों की अवधि में आरोप पत्र पेश नहीं करने पर अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत जमानत प्राप्त करने का हकदार है।

- हरभजन सिंह बनाम राजस्थान सरकार सीआरएलआर 1994 पृष्ठ संख्या 39 राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया कि अभियुक्त कि विरूद्ध विचारण लम्बित 90 दिनों की समाप्ति के पूर्व (88वां दिन) आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ तथा अभियुक्त को चालान की प्रति 90वें दिनों की समाप्ति के पश्चात दी गई। उक्त प्रकरण में धारा 167 (2) के अन्तर्गत जमानत प्रदान नहीं की गई।

- सीबीआई बनाम आर.एस. पई क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 2002 (एससी) पृष्ठ संख्या 369 में सर्वोच्च न्यायालय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी अभियोजन न्यायालय की अनुमति से अति0 दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है|

सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 2003 एससी पृष्ठ संख्या 638 में सर्वोच्च न्यायालय ने जब्त सामग्री के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया।

- अमित बनाम उत्तरप्रेदश राज्य क्रिमिनल 2012 (1) पृष्ठ संख्या 591 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चिय में यह अवधारित किया कि किसी साक्ष्य को केवल इस आधार पर हितबद्ध साक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कि वह परिवादी या पीड़ित का निकट या दूर का रिश्तेदार है बल्कि इस श्रेणी का निर्धारण का प्रमुख पैमाना यह है कि ऐसे साक्षी का प्रत्यक्ष दुराशय अभियुक्त को ऐनकेन प्रकारेण मिथ्या दोषसिद्ध कराने का हो।

- राजस्थान राज्य बनाम हीरालाल क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 2000 (राजस्थान उच्च न्यायालय) पृष्ठ संख्या 613 में अन्वेषण में रही कमी के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अभियोजन मामला स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है तो अन्वेषण के दौरान हुई असावाधानीवश कारित कमियों जैसे मौके के गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं करवाना, नक्शामौका नहीं बनाना या प्राथमिकी देरी से दर्ज करना के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन प्रकरण पर नहीं पड़ेगा।

- हीरालाल पाण्डे बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एससीसी 2012 (5) पृष्ठ संख्या 216 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि अन्वेषण की गलतियों एवं अवैधानिकताओं से अभियोजन के समस्त साक्ष्यों को फेंका नहीं जा सकता जब तक कि उक्त त्रुटि या अवैधानिकता से अभियुक्त के हित गम्भीर विपरीत रूप प्रभावित नहीं होते।

- खेत सिंह बनाम भारत संघ क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 2002 (एससी) पृष्ठ संख्या 359 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रकरण के अन्वेषण के दौरान की गई तलाशी व जब्ती में कोई प्रक्रियात्मक अवैधानिकता बरती भी गई है तो भी संकलित साक्ष्य अग्राह्य नहीं होते ।

- शंकर बनाम राजस्थान सराकर क्रिमीनल लॉ जनरल 1985 (राजस्थान उच्च न्यायालय) पेज न0 600 ने माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि 133 बोतलों मे से केवल 2 बोतलों को रासायनिक परिक्षण हेतु भेजा गया तो यह नही कहा जा सकता कि 131 बोतलों में शराब थी।

- कैलाश चन्द बनाम राजस्थान सरकार सीआरएलआर सन् 2016 (1) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच पृष्ठ संख्या 30 में न्यायालय ने यह अवधारित किया कि वन अधिनियम 1953 धारा 41 व 42 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई उक्त अपराध असंज्ञेय हैं। मजिस्ट्रेट के बिना किसी आदेश पुलिस अनुसंधान नही कर सकती अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द होने योग्य है।

- रामरत्न बनाम राजस्थान सरकार सीआरएलआर 2016 (1) राजस्थान उच्च न्यायालय पेज संख्या 27 में उच्च न्यायालय द्वारा द0प्र0स0 कि धारा 439 के तहत यह अवधारित किया कि स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act) कि धारा 8/20 के तहत गांजा के 400 पौधे तथा 500 ग्राम सुखा गांजा बरामद किया। जिसका वैध लाईसेंस अथवा परमिट नही था। न्याय सहायक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त नही हुई। फूल अथवा फल नहीं लेकिन इसका यह तात्पर्य नही कि इसे गांजे का पौधा नही कहा जा सकता। गांजे के पौधे की खेती निषेध है। भूमि जिसमें पौधे काश्त किये हुये थे छोटे बगीचे के रूप में याची के स्वामित्व की थी। यह तथ्य का प्रश्न हैं कि क्या प्रश्नगत भूमि चरागाह भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व कि थी। निर्णीत, जमानत अस्वीकार की।

- सलमान खान बनाम राजस्थान सरकार सीआरएलआर 2016 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय पेज न0 1493

उक्त प्रकरण में वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 धारा 51 में दोषसिद्वि पर अपील में उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया कि कथित चश्मदीद गवाह एच का बयान लेखबद्ध किया जब वह अभिरक्षा में था। कथित चश्मदीद गवाह साक्ष्य हेतु उपस्थित नही हुआ। रिवाल्वर व राईफल के उपयोग करने के साक्ष्य नही आयी। सम्बन्धित बुलेट व कारतुस बरामद नही हुये।

- चिकित्सा साक्ष्य नही कि हिरण चाकू द्वारा मारा गया– एच का बयान अभियुक्त के विरूद्व नही पड़ा जा सकता। एकत्रित परिस्थितिजन्य साक्ष्य कमजोर व अपर्याप्त है। न तो हिरण की खाल पायी, न पायी पुंछ हिरण की थी। पहले दिन जिप्सी की जांच के समय छर्रे व बाल नही मिले प्रथम अनुसंधान अधिकारी एम0एस0सोनल परीछित नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नही–मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं–निर्णीत, दोषसिद्वी संवहनीय नहीं है व अपास्त की।

धन्यवाद